न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 60/2006/223 आर टी ए

1. सुखाबाई पत्नि स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. लाहोरिया पुत्र स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मक्खन पुत्र स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. शेरूराम पुत्र स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. साधुराम पुत्र स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. वीरूराम पुत्र स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. रानी पुत्री स्व. बखुराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. लच्छोदेवी पत्नि स्व. मोती जाति सांसी निवासी चक 365 हैड
2. औमप्रकाश पुत्र स्व. मोती (फौत)

2/1 सुखो पत्नि स्व. औमप्रकाश जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।

2/2 रवि पुत्र स्व. औमप्रकाश जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।

2/3 संजय पुत्र स्व. औमप्रकाश जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।

2/4 गीता पुत्री स्व. औमप्रकाश जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।

3. सन्तराम पुत्र स्व0 मोतीराम जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।
4. जुबरिया पिसरान स्व0 मोतीराम जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।
5. नानकचन्द पुत्र स्व. मोतीराम जाति सांसी निवासी चक 365 हैड तहसील घडसाना हाल आबाद कासमनगर निरवाल बाईपास जम्मू पो0ऑ0 जम्मू तहसील व जिला जम्मू।
6. चन्दो पुत्री मोतीराम पत्नि मंगूराम जाति सांसी निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. मघो पुत्री मोतीराम जाति सांसी निवासी नई खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. मीरा पुत्री स्व. मोतीराम पत्नि खानाराम जाति सांसी निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. राजो पुत्री स्व. मोतीराम (फौत)

9/1 विशाल हिम्मता पुत्र खानाराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील हनुमानगढ़ हाल आबाद हावली वार्ड नं. 2 बरूआ बाजार के पास पो0ऑ0 हावली जिला बरपेटा आसाम।

10. गंगा उर्फ गोगो पत्नि रिखूराम जाति सांसी निवासी नई खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

11. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2006 व डिक्री दिनांक 23.05.2006
न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्र0सं0 197/2005
अनवानी सुखाबाई आदि बनाम लच्छोदेवी आदि

उपस्थित :–
श्री लालचन्द वर्मा एवं श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3, 5 व 7
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11

निर्णय दिनांकः–31.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 के नाम से चक 4 जेआरके खाता सं. 69 मे 11.638 है0 भूमि बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त भूमि मोती पुत्र नाथू को राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई थी मोतीराम का देहान्त हो चुका है। भूमि की खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। स्व. मोतीराम ने 2 शादिया की थी स्व. मोतीराम की प्रथम पत्नि सुन्दरी थी तथा सुन्दरी के जीवनकाल मे दूसरी शादी कर ली। इस दूसरी शादी से मोती के प्रतिवादी सं. 2 ता 9 पैदा हुए। बखुराम मोतीराम का लड़का था जो प्रथम पत्नि सुन्दरी से पैदा हुआ था बखु फौत हो चुका है तथा बखु के वादीगण वारिस है। मोती ने अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि का बंटवारा कर दिया व बखु को सन् 1976 मे 21 बीघा भूमि बांटकर दे दी शेष 25 बीघा प्रतिवादीगण को बांटकर दे दी। इसलिये उक्त बखु की भूमि की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादीगण की विधिवत तामील करवाई गई लेकिन बावजूद तामील उपस्थित नही आये जिस पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 11 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया व वाद वादीगण डिक्री किये जाने मे कोई आपत्ति जाहिर नही की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद वादीगण/अपीलांटस खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की गई। अपील प्रस्तुत होने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2006 को अपील अपीलांटस स्वीकार करते हुए दावा वादीगण/अपीलांटस डिक्री किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 01.07.2006 के विरूद्ध रेस्पो0 सं. 3 सन्तराम द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर पत्रावली सं. 60/06 को पुनः बाजवा नम्बर लिये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया जिस पर सन्तराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर पत्रावली/अपील सं. 60/06 पुनः बाजवा नम्बर पर ली गई जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मोती के दो पत्नियां थी। बखुराम एक पत्नि सुन्दरी जो मोती की प्रथम पत्नि थी, का पुत्र था। दूसरी पत्नि से रेस्पो0 सं. 2 ता 9 है। मोती के पिता के पास 46 बीघा भूमि थी जिसमे 21 बीघा भूमि बखु को घरूबंटवारा के आधार पर दी गई तथा 25 बीघा भूमि दूसरी पत्नि के वारिसान को घरूबंटवारा के मुताबिक दी गई। उक्त पारिवारिक समझौत बतौर ईकरारनामा दिनांक 21.04.1981 को निष्पादित किया गया था। मुताबिक पारिवारिक समझौता उक्त 21 बीघा भूमि को बखु अपने को मालिक समझते हुए काबिज रहकर काश्त करता था। उसकी मृत्यु के बाद अपीलांटस काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट से कब्जा अपीलांटस का सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी पक्षकार द्वारा उपस्थित आकर वाद का विरोध नही किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से कब्जा अपीलांटस का सिद्ध था। पारिवारिक समझौता सभी काश्तकार/परिवार के सदस्यों की उपस्थिति मे निष्पादित हुआ था जिस पर बतौर सहमति रेस्पो0 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। वादग्रस्त भूमि पर मुताबिक पारिवारित समझौता दिनांक 21.04.81 बखु काबिज होकर काश्त करता था तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटस इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलांटस का दावा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर डिक्री होने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए दावा खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है तथा अपीलांटस/वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे सीसीसी 2016(2) पेज 120, सीसीसी 2016(2) पेज 127, सीसीसी 2016(3) पेज 240, सीसीसी 2014 पेज 680, सीसीसी 2008(4) पेज 314 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर वाद वादीगण/अपीलांटस डिक्री किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि विवादित समस्त भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका कभी भी घरूबंअवारा या पारिवारिक समझौता सहखातेदार के मध्य नही हुआ। रेस्पो0 लच्छोदेवी, ओमप्रकाश, संतराम, जुबारिया, मीरां ने कुल भूमि मे अपना हिस्सा बैय कर दिया है जो खरीददारान के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुका है तथा कब्जा खरीददारान का है अगर कोई पारिवारिक सैटलमेंट होता है तो उस पर परिवार के सभी सदस्यों (सहखातेदारान) के हस्ताक्षर होना जरूरी है तथा उसका रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक है। कोई पारिवारिक समझौता नही किया गया है। लच्छोदेवी, ओमप्रकाश, संतराम

ने कोई शपथ पत्र लिखा हो तो उसका बहिनो व अन्य सहखातेदार के अधिकारो पर कोई प्रभाव नही है। संयुक्त खाता की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है चाहे कब्जा किसी एक का हो या कम ज्यादा भूमि पर कब्जा हो। सहखातेदारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू नही होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी की डिक्री देने का कोई प्रावधान नही है इसलिये कब्जा के आधार पर डिक्री नही दी जा सकती। मोतीराम की पुत्रियां व अन्य पुत्र जिन्होने भूमि बैय की, कुल भूमि मे अपने अपने हिस्सा प्रत्येक 1/11 हिस्सा के सहखातेदार है। अपील खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1996 पेज 321, आरआरडी 2003 पेज 525, आरआरटी 2003(1) पेज 366, आरबीजे 2011 पेज 387, आरआरटी 2017(2) पेज 1100, आरआरटी 2017(2) पेज 1102, आरआरटी 2017(2) पेज 1139 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त कुल 46 बीघा रकबा मोतीराम पुत्र नाथू को अलॉट हुआ था। उक्त भूमि 46 बीघा भूमि का पारिवारिक समझौता जरिये ईकरारनामा दिनांक 21.04.81 को हुआ जिसमे 21 बीघा भूमि बखु पुत्र मोतीराम को दी गई तथा शेष 25 बीघा भूमि मोतीराम के शेष वारिसान यानि लच्छो देवी आदि को दी गई। इस प्रकार प्रमाणित प्रति पारिवारिक समझौता, रकम मामला की रसीदे, नहरी गिरदावरी, पानी पर्ची से यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त 21 बीघा भूमि बखु को दी गई तथा प्रमाणित प्रतिलिपि पर्ची पानी, गिरदावरी आदि से उक्त 21 बीघा भूमि पर कब्जा बखुराम तथा 25 बीघा भूमि पर औमप्रकाश आदि के कब्जा मे होना साबित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि अपीलांटस व रेस्पो0 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत पारिवारिक समझौता एवं कब्जा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहते हुए दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अवधारणा पारित करते हुए दावा खारिज किया है कि प्रतिकूल धारण के आधार पर सहखातेदारी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने अधिकारी नही है। जबकि अपीलांटस मात्र प्रतिकूल धारण के आधार पर घोषणा का अनुतोष नही चाहा गया अपितु पारिवारिक समझौता दिनांक 21.04.81 तथा इसी अनुसार कब्जा होने के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया था। चूंकि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अंकन पारिवारिक समझौता के आधार

पर ना होकर मोतीराम के समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया परन्तु कब्जा पारिवारिक समझौता के आधार पर था। पारिवारिक समझौता के संबंध मे दस्तावेजी साक्ष्य दिनांक 21.04.81 प्रस्तुत किया है जिसमे लच्छो आदि के बतौर सहमति हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है तथा पारिवारिक समझौता प्रदर्श–2 से प्रदर्श–4 दिनांक 22.05.82 पर भी लच्छो आदि के बतौर सहमति हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। परन्तु वादग्रस्त भूमि कब्जा रिकार्ड के अनुसार ना होकर पारिवारिक समझौता प्रदर्श–2 से प्रदर्श–4 दिनांक 22.05.82 के आधार पर है इसलिये अपीलांटस द्वारा दावा प्रस्तुत कर मुताबिक पारिवारिक समझौता घोषणा का अनुतोष के साथ राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही थे। उक्त परिस्थितियों मे उभय पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना उचित है कि प्रकरण मे रेस्पो0/प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्रस्तुत होने पर जवाबदावा एवं दावा के आधार पर प्रकरण मे तनकीयात विरचित करते हुए विरचित तनकीयात पर उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 197/05 अनवानी सुखोबाई आदि बनाम लच्छोदेवी आदि मे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2006 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते प्रकरण मे रेस्पो0/प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्रस्तुत होने पर जवाबदावा एवं दावा के आधार पर प्रकरण मे तनकीयात विरचित करते हुए विरचित तनकीयात पर उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। दावा के निस्तारण होने तक उभय पक्ष वादपत्र मे वर्णित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.8.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ